न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 36/2024

अपीलाण्ट

1. रवि पुत्र सम्पतराज जाति खटीक, निवासी अशोक कॉलोनी, किर्ती नगर, मगरा पूंजला, जोधपुर
2. सम्पतराज पुत्र बद्रीलाल जाति खटीक, निवासी हुडको क्वाटर, सेक्टर किर्ती नगर, मगरा पूंजला, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. स्व0 रघनाथराम के वारिसान—
   1/2 कमलाराम उर्फ हरचन्दराम पुत्र स्व0 रघनाथराम जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, हाल निवासी तिंवरी, जोधपुर
2. स्व0 थानाराम के वारिसान—
   2/1 भल्लाराम पुत्र स्व0 थानाराम जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर, हाल निवासी रामपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली
   2/2 बगदाराम पुत्र स्व0 थानाराम जाति बावरी निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी तिंवरी जोधपुर
3. नारायणराम पुत्र गोकलराम
4. पुसाराम पुत्र गोकलराम
5. ढलाराम पुत्र गोकलराम जातियान हरिजन, निवासीगण ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर
6. सरपंच, ग्रा0पं0 शिकारपुरा
7. तहसीलदार लूणी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 06.02.2024 राजस्व अपील स0 10/2022 अनवान स्व0 रूघनाथराम के वारिसान बनाम नारायणराम वगैरा

उपस्थित—
1. श्री अनोप सिंह सोलंकी, वकील अपीलांट्स
2. श्री मोतीसिंह, वकील (केवियटर) रेस्पो0 सं0 1/1 व 2/1, 2/2
3. श्री कानाराम गोदारा, वकील रेस्पो0सं0 3 से 5 (अन्य अपील में)
4. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 6

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 42/ 2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. नारायणराम पुत्र गोकलराम 2. पुसाराम पुत्र गोकलराम 3. ढलाराम पुत्र गोकलराम जाति हरिजन, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		1. हरचन्दराम पुत्र स्व0 रूघनाथराम जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी तिंवरी, जोधपुर 2. भल्लाराम पुत्र स्व0 थानाराम जाति बावरी, निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी रामपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली 3. बगदाराम पुत्र स्व0 थानाराम जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी तिंवरी, जोधपुर 4. सम्पतराम पुत्र बद्रीलाल जाति खटीक, निवासी हुडको क्वाटर सेक्टर, कीर्ती नगर, मगरा पूंजला जोधपुर 5. रवि पुत्र सम्पतराज जाति खटीक, निवासी हुडको क्वाटर सेक्टर, कीर्ती नगर, मगरा पूंजला, जोधपुर 6. ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 06.02.2024 राजस्व अपील स0 10 / 2022 अनवान स्व0 रूघनाथराम के वारिसान बनाम नारायणराम वगैरा

उपस्थित–
1. श्री कानाराम गोदारा, सुधीर गोदारा वकील अपीलांट्स
2. श्री मोतीसिंह, वकील (केवियटर) रेस्पो0 सं0 1 से 3
3. श्री अनोपसिंह सोलंकी वकील रेस्पो0सं0 4 व 5 (अन्य अपील में)

राजस्व अपील संख्या 74/2024

अपीलाण्ट

1. रवि पुत्र सम्पतराज जाति खटीक, निवासी अशोक कॉलोनी, किर्ती नगर, मगरा पूंजला, जोधपुर
2. सम्पतराज पुत्र बद्रीलाल जाति खटीक, निवासी हुडको क्वाटर, सेक्टर किर्ती नगर, मगरा पूंजला, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. स्व0 रघनाथराम के वारिसान–
   1/2 कमलाराम उर्फ हरचन्दराम पुत्र स्व0 रघनाथराम जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, हाल निवासी तिंवरी, जोधपुर
   1/2 शान्तिदेवी पुत्री स्व. रूघनाथराम बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी, हाल निवासी तिवंरी, जोधपुर
2. स्व0 थानाराम के वारिसान–
   2/1 भल्लाराम पुत्र स्व0 थानाराम जाति बावरी, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर, हाल निवासी रामपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली
   2/2 बगदाराम पुत्र स्व0 थानाराम जाति बावरी निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी तिंवरी जोधपुर
   2/3 कनणाई पत्नी स्व. थानाराम बावरी, निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी तिवंरी, जोधपुर
3. नारायणराम पुत्र गोकलराम
4. पुसाराम पुत्र गोकलराम
5. ढलाराम पुत्र गोकलराम
   जातियान हरिजन, निवासीगण ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
6. सरपंच, ग्रा0पं0 शिकारपुरा
7. तहसीलदार लूणी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) लूणी दिनांक 26.02.2024 रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा बाबत ग्राम शिकारपुरा का ना0क0सं0 85

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित–
1. श्री अनोप सिंह सोलंकी, वकील अपीलांट्स
2. श्री मोतीसिंह, वकील (केवि.)रेस्पो0सं0 1/1, 1/2 व 2/1, से 2/3 (अन्य अपील में)
3. श्री कानाराम गोदारा, वकील रेस्पो0सं0 3 से 5 (अन्य अपील में)
4. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 7

निर्णय

दिनांक 04.11.24

उपरोक्त तीनों अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से तीनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उक्त अपीलें कमशः 36/2024 एवं 42/2024 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 10/2022 अनवान स्व0 रूघनाथ राम के वारिसान बनाम नारायणराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा अपील सं0 74/2024 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा रा0अ0सं0 10/2022 में पारित निर्णय दिनांक 6.2.24 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा बाबत ग्राम शिकारपुरा का ना0क0सं0 85 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2 के वारिसान–अपीलांट्स ने राजस्व प्रथम अपील सं0 10/2022 इस आशय से प्रस्तुत की गई, कि तहसील लूणी स्थित राजस्व ग्राम शिकारपुरा के खसरा नं0 433 रकबा 16.15 बीघा एवं खसरा नं0 451 रकबा 12.19 बीघा कृषि भूमि मूल रूप से रूघनाथ, थानिया पिता बन्ना कौम बावरी–अपीलांट के पिता की खातेदारी कृषि भूमि थी। जो रेस्पो0–

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम पुत्र गोकलराम के नाम से बिना किसी वैद्य/रजिस्टर्ड हस्तांतरण विलेख के, जरिये नामान्तरकरण सं0 85 राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई, अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0 निरस्त फरमावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.24 द्वारा स्वीकार कर, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 85 निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 4 व 5 सम्पराज/रवि ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत अपील संख्या 36/2024 तथा अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 1 से 3–नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम पुत्र गोकलराम द्वारा अपील सं0 42/2024 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा रा0अ0सं0 10/2022 में पारित निर्णय दिनांक 6.2.24 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.2.24 द्वारा ग्राम शिकारपुरा के वादग्रस्त खसरान का ना0क0सं0 85 रेस्पो0सं0 1 व 2–रूघनाथ व थानाराम के वारिसान–अपीलांट्स के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 4 व 5 सम्पराज/रवि ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत एक अन्य अपील संख्या 74/2024 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों एवं अपील सं0 36/2024 एवं 42/2024 में प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील लूणी स्थित ग्राम शिकारपुरा के ख0नं0 433 रकबा 16.19 बीघा एवं ख0नं0 451 रकबा 12.19 बीघा कृषि भूमि रूघनाथ, थानिया पिता बन्ना कौम बावरी की खातेदारी में दर्ज थी। रूघनाथ, थानिया द्वारा उक्त खसरान की कृषि भूमि म्युटेशन संख्या 85 में उल्लेख अनुसार चार रूपये के स्टाम्प पर बेचान बाबत विक्रय पत्र निष्पादित करके राशि रूपये 95/– (अक्षरे पिचानवे रूपये) में रेस्पो0सं0 1 से 3 को दिनांक 11.10.1970 को बेचान कर, उपरोक्त खसरान की भूमि का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा सुपुर्द

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

कर दिया गया, जो गिरदावरी संवत् 2027 से 2070 तक के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त बेचान 100/–रूपये की राशि से कम होने के कारण पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 18 के तहत पंजीयन करवाया जाना आवश्यक नही होने से पंजीबद्ध नही करवाया गया। इसी के आधार पर उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि के बाबत ना0क0सं0 85 रेस्पो0–नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम पुत्र गोकलराम के नाम स्वीकृत किया जाकर विधिवत रूप से इनका नाम तत्समय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात रेस्पो0–नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम द्वारा अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि में से ख0नं0 451 रकबा 12.19 बीघा का पंजिबद्ध बेचाननामा दिनांक 3.2.12 द्वारा छोटाराम पुत्र कालुराम जाति मेघवाल को कर, इसका भौतिक एवं वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। इसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 714 दिनांक 21.3.12 स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। खातेदार छोटाराम द्वारा उक्त कृषि भूमि में 6 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 11.3.16 द्वारा अपीलांट–रवि पुत्र सम्पतराज को तथा शेष 6.19 बीघा भूमि का बेचान अपीलांट–सम्पतराज पुत्र बंशीलाल को जरिये पंजीबद्ध बेचानामा दिनांक 11.3.16 को कर दिया गया। अपीलांट–रवि एवं सम्पतराज के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामों के आधार पर ना0क0सं0 885 दिनांक 2.6.16 को स्वीकृत किया जाकर ख0नं0 451/1 रकबा 6 बीघा रवि पुत्र सम्पतराज तथा ख0नं0 451 रकबा 6.19 बीघा सम्पतराज पुत्र बंशीलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 से स्पष्ट है। इस प्रकार विकयशुदा अपीलाधीन खसरान की भूमि पर रेस्पो0–अपीलांट–रूघनाथ व थानाराम का अथवा उनके वारिसान कमशः हरचन्दराम, भल्लाराम वगैरा का कब्जा काश्त नही रहा। रेस्पो0–अपीलांट–रूघनाथ व थानाराम के वारिसान द्वारा कब्जा काश्त के झूठे तथ्यों के आधार पर करीब 52 वर्षो के बाद अपीलाधीन जैर ना0क0 सं0 85 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भी तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पो0–अपीलांट द्वारा धारा 05 के प्रार्थना पत्र में प्रथम जानकारी का विवरण दिनांक टू दिनांक तक नही बताया। प्रार्थना पत्र में मात्र वर्ष 2022 में हल्का पटवारी से जमाबंदी व म्यूटेशन की नकल लेने की जानकारी होना उचित व न्याय संगत कारण नही है। बेचान वर्ष 1970 से 2022 के बीच के समय का कोई उल्लेख नही है, जबकि उक्त ना0क0 की जानकारी अपीलांट व उनके वालिद को सदैव रही है। ख0नं0 433 व 451 के खातेदार रूघनाथ व थानीया पुत्र बन्ना द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम पुत्र गोकलराम को प्रतिफल प्राप्त कर, बेचाननामा निष्पादित कर दिया गया था। बावजूद उक्त अपील मात्र खरीददारों को परेशान कर, उसकी खरीदशुदा खातेदारी भूमि से वंचित करने तथा रूपया ऐठने की नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरपंच ग्रा0पं0 शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत मूल ना0क0सं0 85 तथा ग्रा0पं0 का कार्यवाही रजिस्टर तलब नही किया गया। अपील में ख0नं0 433 के खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया, जबकि ढलाराम द्वारा उक्त कृषि भूमि का आगे बेचान किया गया है। वादग्रस्त भूमि में पंजीबद्ध बेचाननामों के आधार पर पारित ना0क0सं0 714, 885 आज भी प्रभावी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत है कि पंजीबद्ध दस्तावेज की सत्यता सदैव स्वीकार होगी। विधि का सिद्धान्त है कि पंजीबद्ध दस्तावेज जब तक निरस्त नही किए जाते तब तक उसकी सत्यता सर्वमान्य होगी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। अपीलांट–रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बेचान दस्तावेजों की फोटोप्रतियां व संबंधित जमाबंदी, बिंगोडी रसीद व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनका उल्लेख व विवेचना किए बिना ही विचारण न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित कर दिया गया, जो कि विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 10/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश 6.2.24 एवं इसकी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पालना ने तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण सं0 02/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2024 को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करीब 52 वर्षो के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के विरूद्ध अपनी लिखित बहस में उल्लेखित माननीय सिविल न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के प्रकाश में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपील को मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य होना बताया गया।

जवाब मे रेस्पो0सं0 1 व 2 के वारिसान–अपीलांट्स–प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील लूणी के ग्राम शिकारपुरा के ख0नं0 433 रकबा 16.15 बीघा एवं ख0नं0 451 रकबा 12.19 बीघा कृषि भूमि मूल रुप से उनके पिता रुघनाथ, थानिया पिता बन्ना कौम बावरी की खातेदारी भूमि थी। उक्त कृषि भूमि अपीलांट–रेस्पो0 सं0 1 से 3–नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम पुत्र गोकलराम कौम हरिजन के नाम से बिना किसी वैद्य/पंजीबद्ध विक्रय विलेख के नामान्तरकरण सं0 85 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। उक्त ना0क0 स्वीकृति के समय रेस्पो0–अपीलांट के पिता अथवा उन्हें किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं बिना किसी आधार के उक्त खसरान की वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार ना0क0सं0 85 बिना किसी आधार के दर्ज किया जाकर स्वीकृत होने के कारण प्रारभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है व इसके आधार पर इन्हें कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए। ग्रा0पं0 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व रेकर्ड, हस्तांतरण विलेख एवं कब्जे की विस्तृत जांच नही की गई। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0सं0 1 व 2 के वारिसान–अपीलांट्स बहैसियत खातेदार काबिज है तथा उक्त ना0क0 की आड में अपीलांट–रेस्पो0–नारायण वगैरा द्वारा आगे बेचान कर अपीलांट–रेस्पो0–रवि, सम्पतराज को बिना कब्जा के ही राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करवाकर रेस्पो0 सं0 1 व 2 के वारिसान–अपीलांट्स को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित करने को आमदा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार कर,

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विचाराधीन प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा अपील स्वीकार कर ग्रा0पं0 शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन ना0क0सं0 85 को निरस्त करते हुए वादग्रस्त ख0नं0 433 व 451 के संबंध में मृतक खातेदारों के विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार लूणी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 02/2024 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.24 द्वारा रेस्पो0सं0 1 व 2 के वारिसान–अपीलांट्स–प्रार्थी के नाम बतौर उत्तराधिकारी दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया गया। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 10/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश 6.2.24 एवं इसकी पालना में तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण सं0 02/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2024 विधिसम्मत होने से उक्त तीनों ही अपीले खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि–

1. तहसील लूणी स्थित ग्राम शिकारपुरा के ख0नं0 433 रकबा 16.19 बीघा एवं ख0नं0 451 रकबा 12.19 बीघा कृषि भूमि रूघनाथ, थानिया पिता बन्ना कौम बावरी की खातेदारी में दर्ज थी। रूघनाथ, थानिया द्वारा उक्त खसरान की कृषि भूमि म्युटेशन संख्या 85 में उल्लेख अनुसार चार रूपये के स्टाम्प पर बेचान पत्र निष्पादित करके राशि रूपये 95/–(अक्षरे पिचानवे रूपये) में रेस्पो0सं0 1 से 3 को दिनांक 11.10.1970 को बेचान कर दी गई।
2. उक्त बेचान 100/–रूपये से कम का होने के कारण पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 18 के तहत वैकल्पिक पंजीयन की श्रेणी में है।
3. तत्पश्चात रेस्पो0–नारायणराम, पुसाराम व ढलाराम द्वारा अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि में से ख0नं0 451 रकबा 12.19 बीघा का पंजिबद्ध बेचाननामा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

दिनांक 3.2.12 छोटाराम पुत्र कालुराम जाति मेघवाल के पक्ष में करने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 714 दिनांक 21.3.12 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई।

4. खातेदार छोटाराम द्वारा उक्त कृषि भूमि में से 6 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचानामा दिनांक 11.3.16 द्वारा अपीलांट–रवि पुत्र सम्पतराज को तथा शेष 6.19 बीघा भूमि का बेचान अपीलांट–सम्पतराज पुत्र बंशीलाल को जरिये पंजीबद्ध बेचानामा दिनांक 11.3.16 द्वारा करने से अपीलांट–रवि एवं सम्पतराज के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामों के आधार पर ना0क0सं0 885 दिनांक 2.6.16 स्वीकृत किया जाकर ख0नं0 451/1 रकबा 6 बीघा रवि पुत्र सम्पतराज तथा ख0नं0 451 रकबा 6.19 बीघा सम्पतराज पुत्र बंशीलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ।

5. इस प्रकार रेस्पो0–अपीलांट–रूघनाथ व थानाराम के वारिसान द्वारा कब्जा काश्त के आधार पर करीब 52 वर्ष बाद अपीलाधीन जैर ना0क0 सं0 85 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रथमतः मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। द्वितीय वादग्रस्त खसरान की भूमि में से उत्तरोत्तर पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों के आधार पर केतागण के नाम नामान्तरकरण दर्ज है। जिन्हें अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्व/अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता में नही है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी एवं तहसीलदार लूणी द्वारा पारित दोनों ही अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य पाये जाते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 10/2022 अनवान स्व0 रूघनाथराम के वारिसान व अन्य बनाम नारायणराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2024 को अपास्त किया जाता है। साथ ही उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

नामान्तरकरण प्रकरण सं0 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा के अपील आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपास्त करते हुए, सरपंच ग्रा0पं0 शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत ग्राम शिकारपुरा के नामान्तरकरण सं0 85 को पुनः बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

04.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर